न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

आएसएम नं. – 2024 / 269
मुकदमा नम्बर 100 / 2024 दर्ज दिनांक–14.06.2024

मदनलाल पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम बिरोल, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू(राज.)

बनाम

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुंनू

वकील आवेदक :– श्री किशोर कुमार जांगिड
वकील अनावेक :– पैरो. राज.

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 17.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम झाझडियों की ढाणी पटवार हल्का बिरोल मे खेत खसरा नं. 1176 रकबा 1.07 है0 से लगती सीमाओं पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 के अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह (पत्थरगढी) कायम करवाने के आदेश दिये जावें ।

प्रा. पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक उपस्थित हो प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने में कोई एतराज व्यक्त नही किया गयां

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12.10.2023 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम झाझडियों की ढाणी पटवार हल्का बिरोल मे खेत खसरा नं. 1176 रकबा 1.07 है0 से लगती सीमाओं पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 के अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह (पत्थरगढी) कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17 / 10 / 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू